षोडश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 08 चैत्र, 1939 (श0) / 29 मार्च, 2017 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 01

(1) ग्रामीण विकास विभाग	01
कुल योग —	01

उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजने का औचित्य

'क'-27. श्री नन्द किशोर यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि केन्द्र प्रायोजित इंदिरा आवास योजना के तहत राज्य सरकार को केन्द्र से वित्तीय वर्ष 2016-17 में 32,951 करोड़ रुपये प्राप्त होना था, किन्तु राज्य सरकार द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजने के कारण राज्य को अभीतक 15,953 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुये तथा द्वितीय किस्त का 16,998 करोड़ रुपये प्राप्त नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजने का क्या औचित्य है ?

पटना :
दिनांक 29 मार्च, 2017 (ई0) ।

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

नोट--'क'-समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 988, दिनांक 8 मार्च, 2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्था0 ।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 154-डी0टी0पी0-500